

12.2.18

उभय पक्ष लगातार चार विधियों से
अनुपस्थित हैं। उभय पक्षों को समान
जारी करने के लक्ष्य आगे उभय पक्ष
अपस्थित हुए। यह वाद प्रथम पक्ष के द्वारा
लाया गया है। उभय पक्ष अधिवक्ता के
साक्ष्य से जवाब दाखिल किया है।
द्वितीय पक्ष अपने जवाब में प्रतिवेदित
करते हैं कि यह विवाद संयुक्त खेतीयानी
जमीन से संबंधित है। द्वितीय पक्ष द्वारा
पारितिक ह्व सं 57/2016 सब जज-1
न्यायालय गुगला में दाखल किया गया है
जो लांबित है। ऐसी स्थिति में वाद की
दुहराई नहीं की जा सकती है।

अतः वाद की कपीई समाप्त की जाती है, क
समयावधि समाप्त होने के कारण।

Aug
21/02/18
बनारस जिला न्यायाधीश
अधिवक्ता गुगला